अज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी** मुकाम **राशमी**

शांतिलाल पिता राजु माली वगैराह बनाम **जगदीश पिता दुर्गालाल वगैराह**

किस्मा मुकदमा **राजस्व वाद** नं0 14 सन् **2017**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/01/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी हाजीर । अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार राशमी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। मनन किया। तहसीलदार राशमी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक :राजस्व/भू0अ0/2023/247 दिनांक 04.03.2022 को स्वीकार किये जाने से वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा राशमी पटवार हल्का राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 823 रकबा 0.0243 है0 किस्म आचा लगान – रूपया, का ,ईश्वरलाल पुत्र राजु हिस्सा 1/21, कस्तुरीबाई पत्नि स्व0 राजु हिस्सा 1/21,जगदीश पुत्र दुर्गालाल हिस्सा 1/9,नोजी बाई पत्नि स्व दुर्गालाल हिस्सा 1/9,पिकी पुत्री दुर्गालाल हिस्सा 1/9,बेबी पुत्री राजु हिस्सा 1/21,रेखा पुत्री राजु हिस्सा 1/21,रतनी पुत्री राजु 1/21,रोशन पुत्र रूपा हिस्सा 1/9,लाला पुत्र रूपा हिस्सा 1/9,शांति पुत्री दुर्गालाल 1/9,शांतिलाल पुत्र राजु हिस्सा 1/21,हगामी पुत्री राजु हिस्सा 1/21, जाति माली सा0देह राशमी खातेदार, आराजी संख्या 809 मे से रकबा 0.1645 है0 किस्म चाही–2,लगान 4.67 रूपया का ईश्वरलाल पुत्र राजु हिस्सा 1/7, कस्तुरीबाई पत्नि स्व0 राजु हिस्सा 1/7, शांतिलाल पुत्र राजु हिस्सा 1/7, ,हगामी पुत्री राजु हिस्सा 1/7,बेबी पुत्री राजु हिस्सा 1/7,रेखा पुत्री राजु हिस्सा 1/7,रतनी पुत्री राजु हिस्सा 1/7, जाति माली सा0देह राशमी खातेदार, आराजी संख्या 809 मे से रकबा 0.1026 है0 किस्म चाही–2,लगान 3.92 रूपया, आराजी संख्या 831 रकबा 0.2266 है0 किस्म चाही–2 लगान 6.44 रूपया कुल किता 2 कुल रकबा 0.3292 है0 लगान 10.36 रूपया का जगदीश पुत्र दुर्गालाल हिस्सा 1/6,नोजी बाई पत्नि स्व.दुर्गालाल हिस्सा 1/6,पिकी पुत्री दुर्गालाल हिस्सा 1/6,रोशन पुत्र रूपा हिस्सा 1/6,लाला पुत्र रूपा हिस्सा 1/6,शांति पुत्री दुर्गालाला हिस्सा 1/6,जाती माली सा0देह राशमी खातेदार, घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार जमाबन्दी में अंकन किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावे। रहन बदस्तुर रखा जावे। अधिवक्ता वादी द्वारा नियमानुसार कोर्ट फीस पेश की गई जिसे रेकॉर्ड पर ली जाकर शा0पत्रावली की गई। तद्नुसार पर्चा डिक्री अंतिम जारी हो। पत्रावली की गणना बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भेजी जावे। यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। (गोविन्द सिंह) सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राशमी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Govind Singh
Date: 2024.02.12 16:31:18 IST
Reason: SelfAttested